फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक, बागपत।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्या:– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2023 दिनॉक: मार्च 14, 2023

:: सराहनीय कार्य ::

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढाना पुलिस की बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में 01 वांछित/लुटेरा अभियुक्त घायल/गिरफ्तार। कब्जे से लूटे गए 38 लोहे के पाईप, 01 बुलेरो पिकअप, 01 तमंचा मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

सादर अवगत कराया है कि जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बुढाना के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी बुढाना के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.03.2023 को थाना बुढाना पर नियुक्त उ0नि0 सेन्सरपाल मलिक मय का0 2110 जितेन्द्र कुमार के वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था गस्त चौकिग सदिग्ध व्यक्ति वाहन व दबिश तलाश वाछित व वारण्टी व इनामी अपराधी व विवेचना मर्जुआत मे थाना बुढाना से रवाना होकर ग्राम बिराल के पास पहुचे तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की ग्राम कमरुद्दीननगर उर्फ सैनपुर मार्ग पर बन रहे हाईवे से मजदूरों को बन्धक बनाकर की गयी डकैती की घटना मे सलिप्त अभियुक्त ग्राम सैनपुर की तरफ से रजवाहे की पटरी से पिकअप गाडी से आ रहे है जिनके पास डकैती की घटना मे लूटा हुआ माल व अवैध असलाह हो सकता है यदि सर्तकतापूर्वक चौकिग की जाए तो यह अभियुक्त पकडे जा सकते है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 श्री मागेराम कर्दम मय है0का0 640 निर्वेश शर्मा मय है0का0 64 सुनील कुमार मय का0 2093 राजीव अत्री को हस्वतलब मौके पर बुलाकर सूचना से अवगत कराया गया। तत्पश्चाक पुलिस टीम मुखबिर के बताये अनुसार बिराल व दुर्गनपुर को जाने वाले रास्ते पर स्थित रजवाहे की पुलिया के पास चौकिंग करने लगे। तभी कुछ देर बाद रजवाहे की पटरी पर सैनपुर की तरफ से एक गाडी आती दिखायी दी जिसे देखकर मुखबिर खास ने बताया कि यही वह गाडी है जिसमें आपके यहां हुई घटना के मुल्जिम हैं तथा मुखबिर वापस चला गया । उक्त गाडी के पास आने पर पुलिस पार्टी द्वारा टार्च की रोशनी डालकर चौकिंग हेतु रुकने का इशारा किया तो गाडी चालक ने गाड़ी को और तेज किया और गांव दुर्गनपुर की तरफ मोड़ने का प्रयास करते समय चालक के बराबर मे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया और गाडी को गाव दुर्गनपुर की ओर तेजी से मोडकर भागने का प्रयास किया जिससे गाडी पुलिया मे टकराकर रूक गयी। फायरिंग से पुसि पार्टी बाल बाल बची। दोनो बदमाश गाडी से उतरकर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए दुर्गनपुर की तरफ भागने लगे जिससे पुलिस पार्टी सिखलाये गये तरीको से बची तथा पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की गयी। कुछ समय पश्चात बदमाशों की तरफ से फायरिंग बन्द हो गयी तथा एक व्यक्ति के कराहने की आवाज आ रही थी। पुलिस पार्टी द्वारा सावधानी पूर्वक आगे बढकर घायल व्यक्ति के पास पहुँचे तथा उसे दोबारा फायर करने का मौका दिये बिना पकड लिया। पकडे गए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो इसने अपना नाम **मोहित उर्फ सोनू पुत्र जय प्रकाश नि0 ग्राम भवीसा थाना कांधला जनपद शामली** बताया तथा भागे हुए साथी का नाम **मोनू पुत्र बिलेन्द्र नि0 सिलाना थाना छपरौली जिला बागपत** बताया । भागे बदमाश की तलाश उ0नि0 मांगे राम कर्दम व है0का0 64 सुनील कुमार व का0 राजीव अत्री द्वारा की गयी परन्तु वह रात्रि व गन्ने की फसल होने के कारण नही मिल सका घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी बुढाना में भर्ती कराया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 बोलेरो पिकअप गाडी न0 यूपी 19 टी 1333(घटना में प्रयुक्त), 38 लोहे के पाईप(थाना बुढाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 397/342 भादवि से सम्बन्धित), 01 तमंचा मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढाना पर मु0अ0सं0 108/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री सत्येन्द्र नागर द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम/पता–

1. मोहित उर्फ सोनू पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम ताहिरपुर भभीसा थाना कांधला, शामली।

फरार अभियुक्त का नाम/पताः–

1. **मोनू पुत्र बिलेन्द्र नि0 सिलाना थाना छपरौली जिला बागपत**

बरामदगी का विवरण–

- 41 लोहे के पाईप(लिंटर में प्रयुक्त होने वाले, थाना बुढाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/23 धारा 397 भादवि से सम्बन्धित)
- 01 बुलेरो पिकअप नं0 यूपी 19 टी 1333(घटना में प्रयुक्त)
- 01 तमंचा मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित उर्फ सोनू उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 57/23 धारा 397,342 भादवि थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0सं0 108/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्र0नि0 श्री बृजेश कुमार शर्मा थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
2. उ0नि0 श्री सेंसरपाल सिंह थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
3. उ0नि0 श्री मांगेराम कर्दम थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
4. है0का0 64 सुनील कुमार थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
5. का0 640 निर्वेश कुमार थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
6. का0 2110 जितेन्द्र सिंह थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।
7. का0 2093 राजीव अत्री थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।

नोटः– **घायल/गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का लुटेरा/डकैत प्रवृत्ति का अपराधी है जो थाना बुढाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/23 धारा 397/342 भादवि में वाँछित चल रहा था। अभियुक्त द्वारा घटना किए जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्त को बाद उपचार जेल भेजा जाएगा।**

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर।